<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर एटा।</u>

J.O.Code. 1995

परिवाद सं0—5325/2022

मालती देवी ———— बनाम———केशव सिंह राना

<u>19.09.2023</u>

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। परिवादिया अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिया द्वारा परिवाद केशव सिंह के विरूद्व योजित किया गया था। पत्रावली साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 के साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है। परिवादिया अनुपस्थित है और ना ही उसकी ओर से से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा परिवादी को पूर्व नियत तिथियों पर अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादिया परिवाद की कार्यवाही को अग्रसारित करने का इच्छुक नही है। परिवादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में कोई सम्पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादिया द्वारा परिवादपत्र एवं साक्ष्य के आधार पर तलब किये जाने का आधार दर्शित नहीं होता है। अतः प्रस्तुत परिवाद परिवादिया की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद परिवादिया की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जावे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा।